न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 208/2023 दायर दिनॉक 15.09.2023

वादी		प्रतिवादी
1. देवाराम पुत्र गोमाराम उर्फ गोविन्दराम जाति जाट तहसील मौलासर जिला डीडवाना– कुचामन राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार मौलासर।

राजस्व–वाद बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री रणजीत बलारा एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 25.02.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम धनकोली के खेत खसरा सं0 1773/252 रकबा 0.9800 हैक्टे0, खसरा सं0 249 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 250 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 251 रकबा 0.2000 हैक्टे0, खसरा सं0 252 रकबा 8.8000 हैक्टे0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी में गलती से वादी देवाराम के पिता का नाम गोमाराम व गोविन्दराम दो अलग अलग नाम गलती से खातेदारी में दर्ज हो गये, जबकि वादी के पिता को दो नामो से गोमाराम व गोविन्दराम के नाम से पुकारा व बोला जाता रहा है जिसके कारण वादी के पिता का नाम दो जगह पर अलग अलग गुमानाराम व गोविन्दराम दर्ज हो गया, एसी स्थिति में वादी का पिता का सही नाम गोमाराम उर्फ गोविन्दराम है। इसलिए उक्त भूमि में वादी के पिता का अलग अलग गलत अंकन गोमाराम व गोविन्दराम की जगह एक ही नाम देवाराम पुत्र गोमाराम उर्फ गोविन्दराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। इसी बाबत यह प्रार्थना पत्र द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम धनकोली के खेत खसरा सं0 1773/252, 249, 250, 251 व 252 में वादी के पिता का अलग अलग गलत अंकन गोमाराम व गोविन्दराम की जगह एक ही नाम देवाराम पुत्र गोमाराम उर्फ गोविन्दराम खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर देवाराम पुत्र गोमाराम उर्फ गोविन्दराम के नाम से खातेदारी इन्द्राज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/564 दिनांक 01.07.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया, राजस्व ग्राम धनकोली के खेत खसरा सं0 1773/252, 249,250,251 व 252 में वादी के पिता का अलग अलग गलत अंकन गोमाराम व गोविन्दराम की जगह एक ही नाम देवाराम पुत्र गोमाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:23:35 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उर्फ गोविन्दराम दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार सरहद धनकोली के खेत खसरा सं0 249, 250, 251, 252, 1773/252 में राजस्व रेकर्ड में अन्य खातेदाराके के साथ देवाराम पुत्र गोमाराम व देवाराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट दर्ज है। विरासत से मिली भूमि में गोविन्दराम है व खरीदशुदा में गोमाराम दर्ज है अन्य दस्तावेज भी दोनो नामों से बनवाए हुए है। वादी के पिता का नाम जरिये विरासत एवं बेचाण के नामा. से दर्ज हुए है। उक्त विरासत ना.करण में नाम देवाराम पुत्र गोविन्दराम दर्ज हुआ है एवं बेचाण के ना.करण देवाराम पुत्र गोमाराम दर्ज हुआ है। जबकि वादी के पिता गोमाराम उर्फ गोविन्दराम गलत अंकन होने का कथन कर रहा है। वादी के कथन व साक्ष्यों में भिन्नता है इस कारण वादी किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तहसीलदार मौलासर की रिर्पोट के अनुसार रेकर्ड का अंकन विक्रय पत्र एवं विरासत के आधार पर हुआ है। वादी के पास विक्रय पत्र को संसोधन करवाने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है एवं विरासत का नामान्तकरण जांच के उपरांत निर्णित किया गया है। विरासत, विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के गलत अंकन होने के कथन को स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

—:: आदेश ::—

सरहद धनकोली के खेत खसरा सं0 1773/252, 249,250,251 व 252 में वादी के पिता का अलग अलग गलत अंकन गोमाराम व गोविन्दराम की जगह एक ही नाम देवाराम पुत्र गोमाराम उर्फ गोविन्दराम दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 25.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:23:35 IST
Reason: SelfAttested